


FORM NO. IIIफर्ड अहकाम
(नियम 26)नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर
उनवान मुकेश गुर्जर बनाम एस.एच.ओ. कोतवाली अलवर
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट
प्रा०पत्र नम्बर 15/118/2024 दायर दिनांक 27.12.2024

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.04.2025	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर एससी एक्सएल सीबीसी रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-26-GA-3380 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 112 दिनांक 07.01.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि मुकदमा हाजा में बतौर बजह सबूत अप्त उक्त वाहन को वाहन स्वामी को भविष्य में पुलिस/न्यायालय द्वारा जरूरत पडने पर तलवी बाबत पाबंद फरमाते हुए उक्त वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्दगी आदेश किये जाते है तो कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द - बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी कोतवाली अलवर को जप्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर एससी एक्सएल सीबीसी रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-26-GA-3380 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दपतर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	